प्रेस-विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या-3339/एसएलएसए-197/2026 (कुलदीप), दिनांकित 29.09.2026 के द्वारा मध्यस्थता की व्यवस्था सुदृढ़ बनाये जाने व न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में अतिरिक्त मध्यस्थों का चयन करना है, जिसके लिए निम्न अर्हता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 17.10.2026 से आवेदन कर सकते है। आवेदन की अन्तिम तिथि 23.10.2026 सायं 05:00 बजे तक है।

1. ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों ।

उक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर में दिनांक 23.10.2026 को सायं 5 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर / रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सूचना/आवेदन का प्रारूप इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाईट https://www.allahabadhighcourt.in/ या जिला न्यायालय कुशीनगर के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/kushinagar या जनपद कुशीनगर https://kushinagar.nic.in/ की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

17.10.2026

(भुवन)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

कुशीनगर स्थान पडरौना

सचिव
जिला वि.से. प्राधिकरण
कुशीनगर

प्रतिलिपिः

1. माननीय अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर।
2. ओ०एस०डी० कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (J) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने की कृपा करें।

3. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने की कृपा करें।

4. डी०आई०ओ०, एन०आई०सी० कुशीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना जनपद कुशीनगर की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने का कष्ट करें।

5. सूचना जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ जिला सूचना अधिकारी कुशीनगर को प्रेषित है, कि उक्त सूचना स्थानीय परिचालन वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए पेपर की कटिंग इस कार्यालय को प्रेषित करें।

6. प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी नजारत, कलेक्ट्रेट कुशीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना कलेक्ट्रेट कुशीनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

7. प्रतिलिपि अध्यक्ष / मंत्री, जनपद बार एसोसिएशन कुशीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना जनपद बार एसोसिएशन कुशीनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।

8. प्रतिलिपि अध्यक्ष / मंत्री, बार एसोसिएशन वाह्य न्यायालय, कसया, कुशीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना बार एसोसिएशन, कसया, कुशीनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।

9. प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर पर चस्पा की जाय।

17.10.2026

(भुवन)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

कुशीनगर स्थान पडरौना

सचिव
जिला वि.से. प्राधिकरण
कुशीनगर

अनुसूची–एक

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला कुशीनगर)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नामः ....
2. पिता का नामः ....
3. पताः
   (क) कार्यालयः ....
   (ख) निवासः ....

स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें

4. दूरभाष संख्याः
   (क) कार्यालयः ....
   (ख) निवासः ....
5. मोबाइल संख्याः
   (क) कार्यालयः ....
   (ख) निवासः ....
6. ई–मेल आईडीः ....
7. शैक्षिक अर्हताएंः ....
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभवः ....
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई होः ....
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई होः ....
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांकः ....
    (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है ? ....
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है ?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है ?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है ?

मैं .... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं .... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूँगा। मैं, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांकः

पूर्ण हस्ताक्षरः

Schedule - I

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

(APPLICATION FOR BEING EMPANELLED AS MEDIATOR)

Self attested Photograph to be affixed

1. Name :
2. Father's Name :
3- Address :
   (a) Office
   (b) Residence
4. Telephone No. :
   (a) Office
   (b) Residence
5. Mobile No. :
   (a) Office
   (b) Residence
6. E-mail Id:
7. Academic Qualifications:
8. Professional Qualifications and Experience:
9. Technical experience, if any:
10. Special qualification or experience in Mediation, if any:
11. Bar Council Enrollment Number with date:
    (applicable only to advocates)
12. Whether any Charge Sheet has been submitted against you in any Court? :
13. Whether you have been convicted by the Court for offense involving moral turpitude? :
14. Whether you have been adjudged insolvent or have been declared to be of unsound mind? :
15. Whether any disciplinary proceedings have ever been initiated against you by the disciplinary authority, or whether you have been punished in such disciplinary proceedings? :

I .... do hereby submit that I am willing to be empanelled as a mediator in .... Judgeship and give my consent for being empanelled under. Rule 3 of the Uttar Pradesh Civil Procedure (District Court) Mediation Rules, 2021. I assure that during my term as a mediator, I shall follow ethics as prescribed in Rule 22 of the said Rules while performing my duties. I also undertake to undergo the mediator's training as prescribed by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India. I declare that the above furnished information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed.

Full Signature:

Date:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।